



न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 129/2016

सत्यमेव जयते

मोतीलाल पुत्र रामलाल उम्र 45 वर्ष जाति—मेहर निवासी—ग्राम नियाना
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉण्डेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉण्डेंट)

निर्णय दिनांक— 11.01.2018



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—नियाना, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 34 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 60/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सही प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेही, साक्ष्य व जिरह करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना ही उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉण्डेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट को बहस हेतु कई बार रुक रुक कर आवाज दिलवायी गयी। किन्तु अभिभाषक बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। तदुपरान्त पत्रावली में गुणावगुण पर परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान परोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी ख०नं० 34 रकबा 0.12 है० ग्राम नियाना पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट से प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अतिक्रमण की रिपोर्ट पर अपीलांत को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का सुनवाई अवसर प्रदान कर, अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर, बेदखली व सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में मिसल नम्बर 656/13 निर्णय दिनांक 16.12.2013 से बेदखल किया जाना भी प्रमाणित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांत की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान परोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलांत अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांत पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 656/13 निर्णय दिनांक 16.12.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 740/14 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां